boardofrevenue-uk@gov.in
Fax No. 0135-2669384

संख्याः– 5456 /6–से0अधि0–016

प्रेषक,

आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद्, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

सेवा में,

1–आयुक्त,
गढ़वाल मण्डल, पौड़ी /
कुमायूँ मण्डल, नैनीताल ।
2–समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

दिनांकः 17 जनवरी, 2017 ।

विषयः– **नागरिकों द्वारा प्रस्तुत आवेदन–पत्रों (मूल–पत्र, अनुपूरक–पत्र एवं शिकायती पत्र) की पावती जारी किये जाने तथा नागरिकों को प्रदत्त सेवा अथवा सरकारी दस्तावेजों में हुयी टंकण/डाटा एन्ट्री/लिपिकीय त्रुटि के निराकरण विषयक।**

महोदय,

कृपया, उपरोक्त विषयक, मुख्य आयुक्त, मा0 उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग, देहरादून के पत्रांकः–10/17–15(07)/2016, दिनांक–04 जनवरी, 2017 एवं पत्रांकः–11/17–15(07)/2016, दिनांक, 04 जनवरी, 2017, जो आपको भी सम्बोधित है, (छाया प्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

पत्र संख्याः–10/17–15(07)/2016, दिनांक, 04 जनवरी, 2017 से अवगत कराया गया है कि कतिपय मामलों में सुनवाई के दौरान आयोग के संज्ञान में आया है कि शासकीय कार्यालयों में आवेदक द्वारा सेवा–प्राप्ति हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्रों (मूल पत्र एवं अनुपूरक पत्र) अथवा तत्क्रम में की गई शिकायतों के सापेक्ष कार्यालय द्वारा या तो आवेदन/शिकायती पत्र लेने से इन्कार किया जाता है अथवा उन्हें आवेदन/शिकायती–पत्र के सापेक्ष कार्यालय की मोहर सहित पावती प्रदान नहीं की जाती, जिससे आवेदक को भविष्य में कार्यालय में जमा/दिये गये अपने आवेदन/शिकायती–पत्र के संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत करने में व्यवहारिक कठिनाई उत्पन्न होती है। ऐसे भी मामले रहे हैं, जब आवेदक को पावती हेतु बार–बार बुलाया जाता है, परन्तु पावती नहीं दी जाती है, जो कि उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार अधिनियम–2011 की धारा–3 के अन्तर्गत जारी शासनादेश संख्याः–1337/XXXI(13) जी/2011, दिनांक 28–10–2011 के क्रम में जारी शासनादेश संख्याः–1353/XXXI (13)G/2011 दिनांक– 31–10–2011 का उल्लंघन है।

इस प्रकार आवेदक द्वारा सेवा प्राप्ति हेतु प्रस्तुत आवेदन–पत्र (मूल–पत्र एवं अनुपूरक–पत्र) अथवा तत्क्रम में की गयी शिकायतों के सापेक्ष कार्यालय की मोहर सहित पावती निर्गत किया जाना आवश्यक है।

2– पत्रांकः–11/17–15(07)/2016, दिनांक, 04 जनवरी, 2017 यह भी संज्ञान में लाया गया है कि, पदाभिहित अधिकारी द्वारा प्रदत्त सेवा विशेषकर भू–अभिलेखों एवं प्रमाण पत्रों से संबंधित, में विभागीय स्तर पर हुई टंकण/डाटा एन्ट्री/लिपिकीय त्रुटि का निराकरण तत्काल नहीं किया जा

boardofrevenue-uk@gov.in
Fax No. 0135-2669384

है और आवेदक को परेशानी/कठिनाई का सामना करना पड़ता है। ऐसे मामले मूलतः आवेदकों के व्यक्तिगत विवरण जैसे–नाम, पिता का नाम, पता, भूमि वर्गीकरण आदि का अंकन/डाटा एन्ट्री करते समय हुई अनेकों त्रुटियों से संबंधित होते हैं और जिनके संशोधन हेतु पदाभिहित अधिकारी के कार्यालय से संपर्क करने पर कार्मिकों द्वारा वॉछित सहयोग नहीं दिया जाता तथा आवेदकों से शपथ–पत्र अथवा प्रार्थना पत्र मॉग कर उन्हें अनावश्यक परेशान किये जाने के मामले प्रकाश में आये हैं।

पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि यदि किसी पदाभिहित अधिकारी के कार्यालय/कार्मिक द्वारा इस प्रकार के संशोधनों में अनावश्यक विलम्ब किया गया अथवा प्रकरण को निस्तारित न किया गया, तो इसे सेवा प्रदान करने में व्यवधान मानते हुए आयोग संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार अधिनियम–2011 की धारा–17 के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही प्रचलित करने अथवा शास्ति अधिरोपित करने की संस्तुति कर सकता है।

अतः मा0 मुख्य आयुक्त, उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग, देहरादून के उपरोक्त वर्णित पत्रों की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि, आवेदक द्वारा सेवा प्राप्ति हेतु प्रस्तुत आवेदन–पत्रों (मूल–पत्र, अनुपूरक–पत्र एवं शिकायती पत्र) की मोहर सहित पावती निर्गत करने हेतु तथा विभागीय स्तर पर सामान्य टंकण/डाटा एन्ट्री/लिपिकीय त्रुटि के संबंध में आवेदकों से किसी प्रकार के अतिरिक्त दस्तावेजों, शपथ पत्रों आदि की अनावश्यक मॉग न की जाये तथा उक्त प्रकार की त्रुटियों का निराकरण उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर कर संशोधित प्रमाण–पत्रों/दस्तावेजों की प्रति अविलम्ब आवेदकों को जारी करने हेतु अपने–अपने मण्डल/जनपद अन्तर्गत समस्त विभागीय पदाभिहित अधिकारियों को अपने स्तर से आवश्यक निर्देश निर्गत करते हुए परिषद् को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(सुरेन्द्र नारायण पाण्डे)
आयुक्त एवं सचिव

पत्र संख्या एवं दिनांक : उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– मा0 मुख्य आयुक्त, उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग, 39/1, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून को उनके उपरोक्त संदर्भित पत्र के अनुक्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
2– स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3– सचिव, सुराज, भ्रष्टाचार उन्मूलन एवं जनसेवा विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।

आयुक्त एवं सचिव
राजस्व परिषद
17.01.2017